प्रेस के सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 83/2023)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

ट्राई ने "उभरती प्रौद्योगिकियों के युग में डिजिटल समावेशन" पर एक परामर्श पत्र जारी किया

नई दिल्ली, 14 सितंबर 2023 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने आज 14 सितंबर 2023 को "उभरती प्रौद्योगिकियों के युग में डिजिटल समावेशन" पर एक परामर्श पत्र जारी किया। परामर्श पत्र का मकसद समाज के सभी तबकों और उद्योगों विशेषकर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए समावेशन सुनिश्चित करने पर फोकस करते हुए उभरती प्रौद्योगियों के तेज विकास के कारण उत्पन्न चुनौतियों एवं अवसरों का पता लगाना और इनका समाधान करना है।

2. आज की दुनिया में, ऑनलाइन कनेक्टेड रहना एक जीवनचर्या बन गई है। रोजाना के कार्यों यथा सूचना प्राप्त करना, बेसिक सेवाएं प्राप्त करना, दूर से काम करना, शिक्षा पाना, वित्तीय लेनदेन करना और प्रियजनों से जुड़े रहने के लिए कनेक्टीविटी एक अनिवार्य टूल का काम करती है। ट्राई का मानना है कि डिजिटल समावेशन सही समय पर प्रत्येक नागरिक का महत्वपूर्ण सशक्तिकरण है, जिसमें विफल रहने पर डिजिटल सेवाओं की पहुंच का अंतर और बढ़ सकता है और इससे समाज का एक बड़ा तबका उन दूसरे लोगों जैसे समावेशी विकास से वंचित रह जाएंगे जो वेल कनेक्टेड हैं और डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। परामर्श पत्र में, ट्राई ने डिजिटल आर्थिक गतिविधियों में व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों के बीच मजबूत नीतिगत एवं सहयोगपूर्ण फ्रेमवर्क की आवश्यकता पर जोर दिया है।

3. भारत ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में उल्लेखनीय प्रगति की है, आज भारत सब्सक्राइबर्स के लिहाज से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े दूरसंचार बाजार के रुप में उभर रहा है। देश में मोबाइल ब्राडबैंड सब्सक्रिप्शन और इंटरनेट उपयोग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई जबकि डाटा की लागत में भारी कमी आई है। सरकार के विभिन्न प्रयासों यथा डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018, राष्ट्रीय ब्राडबैंड मिशन 2019, भारतनेट, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) और यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लीगेशन फंड (यूएसओएफ) ने पूरे देश में कनेक्टीविटी के विस्तार और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

4. समावेशी वित्तीय समाज के लिए डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) की कामयाबी की कहानी को पूरी दुनिया में अच्छी स्वीकार्यता मिली है। जन धन-आधार-मोबाइल (जेएएम) त्रिमूर्ति ने गरीबों के बैंक खातों में कल्याण सहायता राशि के पारदर्शी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में महती भूमिका निभाई है। यूपीआई ने रीयल-टाइम में एक बैंक खाते से दूसरे में पैसे का सुगम हस्तांतरण करने में उपयोगकर्ताओं को सक्षम बनाया है। इन उपलब्धियों के बावजूद, यह देखा गया है कि समाज के कई तबकों और क्षेत्रों में इंटरनेट ब्राडबैंड पहुंच और इसके प्रभावी इस्तेमाल में काफी असमानताएं अभी भी बनी हुई हैं। विशेषकर गरीब समुदायों के व्यक्तियों, महिलाओं एवं लड़कियों द्वारा ब्राडबैंड कनेक्शन पर आधारित सेवाओं एवं एप्लिकेशन की सुगम्यता, वहनीयता और प्रभावी एवं सुरक्षित उपयोग और दूरदराज एवं दुर्गम इलाकों या गांवों में काम करने वाले सूक्ष्म या लघु उद्यमियों की भागीदारी को लेकर काफी चिंताएं हैं, जिनका समयबद्ध तरीके से निवारण किए जाने की नितांत आवश्यकता है।

5. परामर्श पत्र में, ट्राई ने देश में मौजूद डिजिटल समावेशन की कमियों का विश्लेषण किया है, जिनमें मोबाइल इंटरनेट उपयोग में अंतर, ग्रामीण-शहरी इंटरनेट पहुंच में असमानताएं, इंटरनेट पहुंच में लैंगिक अंतर शामिल हैं। इसके अलावा, कुछ वैश्विक सूचकांकों

में अंतर की भी पहचान की गई है। समावेशन को निरंतर प्राथमिकता देने से एक ऐसा ईकोसिस्टम बनाया जा सकता है, जो प्रत्येक व्यक्ति को फायदा पहुंचा सकता है और अधिक समान तथा सुगम्य डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकता है।

6. प्रौद्योगिकीय विकास की तेज गति और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस/मशीन लर्निंग आधारित सेवाओं सहित 5जी इनेबल्ड सेवाओं के शुरु होने और इन प्रौद्योगिकियों के अपनाने और उपयोग की लागतों की वजह से विशेषकर गरीब समुदायों और वंचित क्षेत्रों के लिए डिजिटल अंतर और बढ़ सकता है। इन्फ्रास्ट्रक्चर की असमान पहुंच, कम डिजिटल साक्षरता और वहनीयता संबंधी मुद्दों से उभरती प्रौद्योगिकियों के समान वितरण एवं उपयोग में रुकावट आ सकती है और डिजिटल समावेशन में मौजूद असमानताएं और बढ़ सकती हैं। इन अंतरों को पाटना जरुरी है, जो उभरती प्रौद्योगिकियों के कारण उत्पन्न हो सकते हैं।

7. ट्राई ने नए और उभरते डिजिटल प्रौद्योगिकी समाधानों को अपनाने से देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों की भी पहचान की है। चूंकि एमएसएमई क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है, इसलिए यह जरूरी है कि एमएसएमई को नए उभरते प्रौद्योगिकी समाधानों के माध्यम से डिजिटल अर्थव्यवस्था में अधिक योगदान देने के लिए सशक्त बनाया जाए, विशेष रूप से सूक्ष्म उद्यमों को क्योंकि अधिकांश एमएसएमई सूक्ष्म उद्यम हैं।

8. हितधारकों से टिप्पणियों प्राप्त करने के लिए परामर्श पत्र को ट्राई की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर अपलोड किया गया है। हितधारकों से परामर्श के मुद्दों पर लिखित टिप्पणियां 16 अक्टूबर 2023 तक और प्रति-टिप्पणियां 31 अक्टूबर 2023 तक आमंत्रित की जाती हैं।

9. टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रुप में ईमेल : advisorit@trai.gov.in पर भेजें और इसकी प्रति ja-cadiv@trai.gov.in पर भेजें। किसी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री आनंद कुमार सिंह, सलाहकार (सीएएंडआईटी) से टेली. नंबर +91-11- 23210990 पर संपर्क करें।

ह/-

(वी. रघुनंदन)
सचिव, ट्राई